संख्या-33/2022/2029954/71-3099/44/2022-03

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनॉक 24 फरवरी, 2022**

विषयः- केन्द्र सहायतित योजना (फेज-3) के अंतर्गत स्वीकृत/निर्माणाधीन 14 स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों हेतु प्रशासनिक संवर्ग के पदों का सृजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई-1/2022/411, दिनांक 27.01.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र सहायतित योजना (फेज-3) के अंतर्गत स्वीकृत/निर्माणाधीन **स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय यथा- अमेठी, औरैया, कानपुर देहात, कुशीनगर, कौशाम्बी, गोण्डा, चन्दौली, पीलीभीत, बुलन्दशहर, बिजनौर, लखीमपुरखीरी, ललितपुर, सुल्तानपुर एवं सोनभद्र में प्रशासनिक संवर्ग के 10 पद (प्रत्येक हेतु) अर्थात् कुल 140 पदों को संलग्न तालिकानुसार, को अस्थायी रूप से दिनांक 28-02-2022 तक के लिए,** बशर्ते इन पदों को इससे पूर्व बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिया जाए, निम्नांकित शर्तों के अधीन सृजित किए जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है-

1. उक्त पदों पर भर्ती एन0एम0सी0 मानकों तथा कार्यात्मक/वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप किया जायेगा।
2. पदों के पदनाम, वेतनमान आदि का निर्धारण राजकीय मेडिकल कालेजों में प्रश्नगत पदों के पदनाम, वेतनमान आदि के सम्बन्ध में, जो व्यवस्था दी गयी है, के अनुसार ही रखा जाए।
3. उक्त के अतिरिक्त पदों पर नियुक्ति विभागीय नियमावली एवं समय-समय पर जारी शासनादेशों/नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
4. चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1561/2021/71-2099/753/2021, दिनांक 16.09.2021 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. उक्त पदों पर नियुक्ति योग्यता के अनुरूप की जाये।

2- उक्त पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-" के सुसंगत वित्तीय मदों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22-03-2021 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किए जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या/दिनांक, उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
4. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
5. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अमेठी, औरैया , कानपुर देहात , कुशीनगर , कौशाम्बी , गोण्डा , चन्दौली , पीलीभीत , बुलन्दशहर , बिजनौर , लखीमपुरखीरी , ललितपुर , सुल्तानपुर एवं सोनभद्र।
8. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
9. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. वित्त (व्यय- नियंत्रण) अनुभाग-3
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-33/2022/2029954/71-3099/44/2022-03, दिनांक 24 फरवरी, 2022 का संलग्नक।

क्र 0 सं 0	विभाग का नाम	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान	ग्रेड पे (रूपये)	शासनादेश 16.09.2021 के अनुसार ग्रेड पे
1	प्रशासनिक विभाग	प्रधानाचार्य	01	37400-67000	10000	10000
		वित्त नियंत्रक	01	37400-67000	8700	8900
2	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	चीफ मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट	01	15600-39100	7600	8700
		मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट	01	15600-39100	6600	7600
3	मेडिकल रिकार्ड सेक्शन	मेडिकल रिकार्ड आफीसर	01	9300-34800	4200	5400
4	सेंट्रल वर्कशाप	सुपरिटेण्डेण्ट	01	9300-34800	4200	4200
		योग	**06**			
हास्पिटल सेक्शन						
5	सेंट्रल कैज्युलिटी सर्विस	कैज्युलिटी मेडिकल आफीसर	04	15600-39100	5400	5400
		कुल योग	**10 पद**			

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।